राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: आ दे श ::

राजस्थान पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य.

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-3801/1995 अन्तर्गत
अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान.

<u>आदेश दिनांक:-</u> **18.12.2006**

उ प स्थि त

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा</u>

श्री राजदीपक रस्तौगी, अधिवक्ता वास्ते वास्ते प्रार्थी ।
श्री ब्रह्मानन्द सान्दू, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

प्रार्थी राजस्थान पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी ने इस रिट याचिका में सेवानिवृत कर्मचारियों को राज्य बीमा क्लेम तथा बढ़े हुए बोनस दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख को परीक्षित किया गया।

अभिलेख के अनुशीलन से ऐसा प्रकट होता है कि प्रार्थी सोसायटी ने प्रतिपक्षीगण से सम्पर्क किए बिना ही, बिना उनके समक्ष अपनी व्यथा के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, यह रिट याचिका इस न्यायलय में प्रस्तुत कर दी है। चूंकि विगत ग्यारह वर्षों से यह रिट याचिका इस न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए तकनीकी आधारों पर इस रिट याचिका को

अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अत: न्याय के हित में प्रार्थी सोसायटी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी व्यथा अभ्यावेदन में व्यक्त करते हुए, सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी। यदि इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रार्थी सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण, अभ्यावेदन प्राप्त होने तीन माह की अवधि में, प्रार्थी सोसायटी को सुनवाई का अवसर देते हुए, विधि अनुसार करेगें।

उक्त निर्देश के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)